नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
नम्बर:–215/2018 प्रार्थना पत्र
शांति देवी पत्नि लादूलाल माली, उम्र बालिग निवासी एफ–.636, विजयसिंह पथिकनगर,
(राजस्थान)

---प्रार्थीया

बनाम

मलाल पिता मूलचन्द्र गाडरी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ल्याण पिता मूलचन्द्र गाडरी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
लू पिता मोती गाडरी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
रू पिता रावता गाडरी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
गा पिता मोती गाडरी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
मलाल पिता मोती गाडरी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
मलाल पिता देवा गाडरी, उम्र बालिग निवासी रीछडा तहसील व जिला भीलवाड़ा
न्नालाल पिता गंगाराम गाडरी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
पाल पिता गंगाराम गाडरी, उम्र बालिग निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–22.7.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रीछड़ा ल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1405/2 रकबा 10 06/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम ई है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की त के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस र्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी हते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश मावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 9.8.2018 को पंजीबद्व किया जाकर म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे त्रावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4, व 6 को कितनी ही धिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.4.2019 को कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया हैं। वकील प्रार्थिया द्वारा विपक्षी संख्या 3 व 5 के ई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण दिनांक 12.7.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गयी ।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक स सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल मय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के वीकार किया जाकर कि ग्राम रीछड़ा पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित राजी नम्बर 1405/2 रकबा 10 बिस्वा, 1406/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 5 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। ढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, महुआकंला को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) र फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। र फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी ाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner